

आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी है। इस दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्दाज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्दाज दुरस्ती सज़ारब अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्दाज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-


पूर्व इन्दाज					स्वीकृत किया गया इन्दाज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खेती संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
बोरा	144	शिव पुत्र अशुभ	624 631 724 763	1128	शिव पुत्र अशुभ	624 631 724 763	1128

क्रमांक :-

195
/ (2-10-21)

प्रतिलिपि पालनाथ :-


- उप तहसीलदार, मौलासर


 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बलिया) PGKSA-2021, प.स. मौलासर
 दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनाथ :-

- पटवार हल्का..... को मेजर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निम्नानुसार पालना सुनिश्चित करें।


 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बलिया) PGKSA-2021, प.स. मौलासर
 दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर